संख्या–881 / एक–10–2021–33(221) / 2011टीसी–3

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1,
उत्तर प्रदेश शासन।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊः दिनांकः 22 अप्रैल, 2021

विषयः– कोविड–19 महामारी की रोकथाम एवं उपचार हेतु 24 राजकीय एवं स्वशासी मेडिकल कालेजों / चिकित्सा संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में बनाये गये कोविड अस्पतालों एवं जांच लैबों की क्रियाशीलता हेतु आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन किये जाने के सबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक–654 / 71–1–2021जी–13 / 2016टीसी2, दिनांक 22.04.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड–19 महामारी की रोकथाम एवं उपचार हेतु 24 राजकीय एवं स्वशासी मेडिकल कालेजों / चिकित्सा संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में बनाये गये कोविड अस्पतालों एवं जांच लैबों की क्रियाशीलता हेतु आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से वित्तीय वर्ष 2021–22 में रू0 79,88,00,000 / –**(रूपये उन्नयासी करोड़ अठासी लाख मात्र)** की धनराशि, निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(1)जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद / विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। वित्तीय हस्त पुस्तिका / वित्तीय नियमों तथा प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिए किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित विभाग को प्राप्त न हुयी हो।

(2)राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(3)निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तद्नुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुप्रयोग सुनिश्चित करना, व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराया जाये। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(4)राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग / समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0–2 / 1– 11–2013–रा0–11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत / अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन / दिनांक 31 मार्च, 2022 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(5)उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369–एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0–42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाये।

(6)व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

3– **उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड–800–अन्य व्यय–06–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–09–राज्य सरकार घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।**

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः–881(1)/एक–10–2021,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2– विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन।
3– महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
4– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
5– विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन(ई–बजट), राजस्व विभाग उ0प्र0 शासन।
6– चिकित्सा शिक्षा, अनुभाग–1।
7– मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी।
8– वित्त (व्यय –नियंत्रण) अनुभाग–5।
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रणवीर प्रसाद)
सचिव।